<u>संशोधित</u>

# सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय, मध्यप्रदेश

पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड़ नंबर 3, भोपाल-462016
ई-मेल:-dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/सामा.सहा.03/I/310242/2025 17-06-2025

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- अस्थाई दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर पेंशन प्रदाय किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन बावत् ।

***0***

कृपया विषयांकित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । प्रदेश के अधिकांश जिलों/निकायों से अस्थाई दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर पेंशन योजनाओं एवं अन्य योजनाओं में लाभ प्रदाय किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है ।

उपरोक्त के संबंध में भारत सरकार एवं म.प्र. शासन द्वारा अस्थाई दिव्यांगजनों को शासन द्वारा प्रदत्त लाभ की श्रेणी में नहीं माना गया है । अस्थाई प्रमाण-पत्र वाले दिव्यांगजनों को नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अस्थाई दिव्यांगता प्रमाण-पत्र वाले दिव्यांगजनों को पेंशन योजनाओं एवं अन्य योजनाओं में लाभ दिया जाना संभव नहीं है । अत: सी.एम./सी.एस. समाधान ऑनलाईन में दर्ज ऐसे प्रकरणों को तत्काल विलोपित कराते हुये संबंधित आवेदकों को भी शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें ।

(<u>आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>)

Digitally signed by Bharat Singh Gour
Date: 17-06-2025 16:34:33

BHARAT SINGH GOUR
ASSISTANT DIRECTOR

पृ.क्रं./सामा.सहा.03/I/310242/2025 17-06-2025

प्रतिलिपि: -

1. उप सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. श्री योगेश सिंह, एन.आई.सी. म.प्र. की ओर उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने का अनुरोध है ।
3. समस्त, कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. समस्त, आयुक्त नगर निगम, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समस्त, मुख्य नगर पालिका/नगर पंचायत परिषद अधिकारी, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. समस्त, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, म.प्र. की ओर ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ASSISTANT DIRECTOR